

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राज. विजान/स्थानान्तरण/2020-21/1-805 दिनांक-04.01.2021 के द्वारा सुलतान राम यादव व्याख्याता, राजनीति विज्ञान राउमावि गठवाड़ी, जमवारामगढ़, जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि जालमपुरा, हुरडा, भीलवाडा किया गया। सुलतान राम यादव ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 944/2021 सुलतान राम यादव बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

उक्त अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.2021 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक अख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने के आदेश प्रदान किये हैं।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी सुलतान राम यादव द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर वृद्ध पिताजी के देखभाल की जिम्मेवारी स्वयं पर होने एवं विषम पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि कल्याणपुरा, शाहपुरा, जयपुर/राउमावि तिगरिया, गोविन्दगढ़, जयपुर/राउमावि टोरडा गुजरान, पावटा, जयपुर/राउमावि बुचारा, पावटा, जयपुर/राउमावि गागारखू, दूदू जयपुर अथवा राउमावि थानागाजी, अलवर की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनता से परीक्षण व मनन किया गया। अपीलार्थी के प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए इनका समायोजन राउमावि टोरडा गुजरान, पावटा, जयपुर व्याख्याता राजनीति विज्ञान के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: २६/०२/२०२१

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/अभ्यावेदन/ अ. 944/2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा..... |
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
4. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर..... |
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि/रावाउमावि
8. गार्ड पंजिका।

३१२
+ संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राज.विजान/स्थानान्तरण/2020-21/1-805 दिनांक-04.01.2021 के द्वारा जावेद जमाल शेख व्याख्याता, राजनीति विज्ञान राउमावि पांचोली, सिकराय, दौसा का स्थानान्तरण राउमावि राजोरा खुर्द, सेपउ(बाड़ी) धोलपुर किया गया। जावेद जमाल शेख ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 512/2021 जावेद जमाल शेख बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

उक्त अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.01.2021 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक अख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने के आदेश प्रदान किये हैं।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी जावेद जमाल शेख द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के 13 मई 2008 को हुए सीरीयल बम ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल होने के कारण चेस्ट का ऑपरेशन होने, स्थानान्तरित स्थान 300 किमी दूर होने, वृद्ध माता के देखभाल की जिम्मेवारी स्वयं पर होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि पीपला, फागी, जयपुर/राउमावि टोरडा गुजरान, पावटा, जयपुर/राउमावि नीमला, जमुवारामगढ़, जयपुर/राउमावि बाडोदिया, चाकसू जयपुर अथवा राउमावि ठिकरिया, लवाण दौसा की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनता से परीक्षण व मनन किया गया। अपीलार्थी के प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए इनका समायोजन राउमावि पीपला, फागी, जयपुर व्याख्याता राजनीति विज्ञान के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक: २६/०३/२०२१

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/अभ्यावेदन / अ. 512/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- 1.संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग
- 2.संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा..... |
- 3.मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा |
- 4.जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर..... |
- 5.विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा |
- 6.सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु |
- 7.संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि/राबाउमावि |
- 8.गार्ड पंजिका |

— संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर